



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269061  
CG-DL-E-02012026-269061

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2026/पौष 11, 1947

No. 01]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2026/PAUSHA 11, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 1(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा उपबंधित प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार, खान मंत्रालय के तारीख 12 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या एम. VI-16/15/2021-खान VI द्वारा जारी प्रत्यायित निजी खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार “प्रवर्ग ‘ख’ खोज अभिकरण” के अधीन मैसर्स यूनिसेड रिसर्च कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित करती है।

- उक्त अभिकरण, उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वोक्त संक्रियाएं कार्यान्वित करेगा।
- यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अनुदत्त प्रत्यायन के अवसान तक या इसके पर्यवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2025

**S.O. 1(E).**— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India, the Central Government hereby notifies M/s Unised Research Consultants Private Limited under “Category ‘B’ Exploration Agency”, as per the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India, Ministry of Mines vide order number M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12<sup>th</sup> August, 2021.

2. The said agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines.

3. This notification shall remain in force for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette or till the expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.